

संख्या-1364/सत्तर-2-2008-2(140)/2002

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
बी० चरण सिंह विश्वविद्यालय,  
मेरठ।

लखनऊ दिनांक 18 अगस्त, 2008

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

विषय:-

महाविद्यालय संचालन हेतु सन्मद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:सन्मद्धता/1052, दिनांक 01-03-2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन, डॉ० के०एन० मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, मोदीनगर को बी०बी०ए० एवं बी०ए० डिग्री कार्यक्रमों में स्थापित पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सन् 2006-07 से सन्मद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में सभ्य-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिर्णयकारी/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सन्मद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)  
अनु सचिव।

संख्या-1364(1)/सत्तर-2-2008-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- (3) सचिव/प्रबन्धक, डॉ० के०एन० मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, मोदीनगर।
- (4) निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री।
- (5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)  
अनु सचिव।